20/संख्या- 1735/बयालिस-2014-116(विविध)/2012

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 06 अगस्तर, 2014**

विषय- सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 248/नि0 सैफई तरणताल पत्रा0/2012-13, दिनांक 10 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 2038/बयालिस-2012-174(विविध)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1310/बयालिस-2013-174(विविध)/2012, दिनांक 03 जून, 2013, शासनादेश संख्या- 583/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 1056/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में सैफई जनपद इटावा में स्टेडियमों के निर्माण मद में व्यवस्थित बजट धनराशि रू0 30.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 20.00 करोड़ (रू0 बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सैफई में तरणताल के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता अनुसार दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाक घर आदि में नहीं रखी जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- शासनादेश संख्या- 2038/बयालिस-2012-174(विविध)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1310/बयालिस-2013-174(विविध)/2012, दिनांक 03 जून, 2013, शासनादेश संख्या- 583/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 1056/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते आदि यथावत रहेंगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 1735(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, इटावा।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- नियोजन अनुभाग- 4
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in